बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी
ग्रामीण विकास विभाग
बिहार, पटना।

पत्रांक 173874
ग्रा0वि09(ख)BRDS-72/2013

पटना, दिनांक 10/01/14

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला-कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर-जिला-कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार ।

विषय:- **मनरेगा कर्मियों हेतु Group Accident Insurance अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु वांछित प्रक्रिया के निर्धारण के संबंध में ।**

प्रसंग:- **ग्रामीण विकास विभाग का पत्रांक 145840 दिनांक 16.04.13 ।**

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के द्वारा मनरेगा कर्मियों के दुर्घटना में मृत्यु होने पर बीमा राशि के भुगतान हेतु दावे की प्रक्रिया के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत किया गया था, जिसमें दावे हेतु सभी वांछित कागजात मुख्यालय भेजने एवं बीमा राशि भुगतान से संबंधित आदेश बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी द्वारा निर्गत किए जाने का निर्णय आख्यापित था ।

उक्त क्रम में दि0- 23.07.2013 को बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी के कार्यकारिणी समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत तकनीकी सहायक, कनीय अभियंता, लेखापाल तथा कम्प्यूटर ऑपरेटर के बीमा राशि से संबंधित दावा आवेदन पत्रों का निष्पादन जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा किया जाना है तथा शेष कर्मियों यथा कार्यक्रम पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता एवं सहायक अभियंता के बीमा राशि से संबंधित दावा आवेदन पत्रों का निष्पादन मुख्यालय स्तर पर बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसायटी द्वारा किया जाना है ।

इसके साथ ही मुख्यालय स्तर पर यह भी अभिमत गठित हुआ कि जिलों से सभी तरह से पूर्ण आवेदन-पत्र प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर मुख्यालय से दावा आवेदन पत्रों का निष्पादन किया जा सकेगा । इसी तरह से संविदा के आधार पर नियोजित किसी अन्य कर्मी (PO, EE, AE को छोड़कर) की दुर्घटना में हुई मृत्यु के 45 दिनों के अन्दर उसके दावे का निष्पादन जिला स्तर से किया जा सकेगा । सुलभ संकेत हेतु दावा आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाने वाली कागजात की सूची पुन: उद्धृत की जाती है :-

1. प्रभावित कर्मी के चिन्हित परिजन के हस्ताक्षर / अगूंठा के निशान से प्रेषित (सारे इन्द्राज सहित) दावा आवेदन पत्र ।
2. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत Post-Mortem Report ।
3. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण-पत्र ।
4. संबंधित पुलिस थाना में दर्ज प्राथमिकी की छाया प्रति ।
5. विभागीय जांच प्रतिवेदन ।
6. चिकित्सक द्वारा निर्गत चिकित्सीय प्रमाण पत्र ।

पूर्व में निर्गत पत्रांक 145840 दि0- 16.04.2013 में वर्णित अन्य सभी प्रावधान तथा शर्ते यथावत लागू रहेगी ।

अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रक्रिया का अनुपालन करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन
6.1.14
(अमृत लाल मीणा)
सचिव ।

Letter-26